मेना अभिभावक

हमनें आपको मेना माना है, अर्थात अकेला विदेशी अल्पवयस्क |

“मेना” का क्या अर्थ होता है ?

इसका मतलब है कि:

- आपकी उम्र १८ साल से कम है
- आप बेल्जियम के रहने वाले नहीं हैं
- आपके माता-पिता आपके साथ बेल्जियम में नहीं हैं
- आपके पास बेल्जियम में रहने के लिए वैध आवास अनुज्ञा पत्र नहीं है

बेल्जियम में, अकेले विदेशी अल्पवयस्कों को एक **अभिभावक** मिलने का अधिकार है |

FEDERAL PUBLIC SERVICE
JUSTICE

मगर... अभिभावक करता क्या है ?

अभिभावक वह व्यक्ति है जिस हम आपको बेल्जियम में जीवन निर्वाह करते समय अपने साथ रहने और मदद करने के लिए नियुक्त करते हैं |

वह आपका कानूनी प्रतिनिधि है : अर्थात वह आपको बेल्जियम में रहने के हर पहलू में मदद करता है | उदाहरण के लिए, अगर आप बेल्जियम में रहने के लिए आश्रय अथवा आवास अनुज्ञा की मांग करते हैं, तो आपका अभिभावक आपकी इस पूरी प्रक्रिया में मदद करेगा |

किन्तु अभिभावक कई और चीज़ें भी करता है | इनमें से कुछ चीज़ों के उदहारण निम्नलिखित हैं :

- वह अक्सर आपसे मिलने आता है
- वह प्राधिकारियों द्वारा आपके विषय में लिए गए निर्णयों को आपको समझाता है
- वह आपके लिए एक मुफ्त वकील ढूंढता है ; वह इस बात की

संतुष्ट किरता है कि आप अपने आवास में खुश हैं या नहीं और ज़रुरत पड़ने पर आपके रहने लायक एक आवास ढूंढता है

- वह आपका स्कूल में दाखलिा करवाता है और देखता है कि स्कूल में सब कुछ ठीक है या नहीं
- अगर आपको बीमारी हो जाए, तो वह देखता है कि आपको सभी सुवधिाएं मलिें ; आपकी मदद से, वह आपके धन का खयाल रखता है ; जब आप ठीक न हों, तब वह आपकी परेशानी सुनता है ; वह आपकी मर्ज़ी और भावनाओं की कद्र करता है
- वह आपसे आपके भवषि्य के बारे में बात करता है
- अगर आप चाहें, तो वह आपको अपने माता-पिता कि खोज करने में मदद करता है

अगर आपको अभभिावक के कर्तव्यों के बारे में प्रश्न हैं, तो आप अपने अभभिावक से इस बारे में बात कर सकते हैं |

आपके पास अभिभावक कब तक रहेगा ?

जब तक आप १८ वर्ष के नहीं हो जाते, अभिभावक आपके साथ ही रहेगा | १८ वर्ष की उम्र में आप आत्मनिर्भर हो जाएँगे |

इसका क्या मतलब है ?

इसका मतलब यह हुआ कि आपको अपना ध्यान खुद ही रखना होगा | अभिभावक आपके लिए अब निर्णय नहीं ले सकता | लेकिन डरना नहीं, अभिभावक आपको इस मुकाम तक पहुंचने में पूरी मदद करेगा : वह आपको सुझाव देगा और आपके जानने योग्य सभी बातें समझाएगा |

मगर ऐसा भी हो सकता है कि १८ साल कि उम्र से पहले ही अभिभावक का कार्य पूरा हो जाए : अगर आपके माता-पिता बेल्जियम आ जाएँ या अगर आप बेल्जियम से चले जाएँ | अगर ऐसा हुआ तो हम आपको एक चिट्ठी भेजकर सूचित करेंगे कि अब आपका कोई अभिभावक नहीं है | अभिभावक आपसे इस बारे में बात करेंगे |

अगर आपको अपने अभिभावक से कोई परेशानी हो, तब क्या होगा ?

अभिभावक को आपकी बात सुननी होगी और आपके लिए समय निकालना होगा | उनसे बात करने कि कोशिश करें, उन्हें यह समझाने के लिए कि क्या परेशानी है |

इससे कोई हल नहीं निकला ?

- हमसे बात करें, हम आपकी परेशानी सुलझाने की कोशिश करेंगे |
- आप शांति बनाए रखने के लिए नियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने भी जा सकते हैं | वह आपके और अभिभावक के बीच उठने वाली समस्याओं को हल करने के लिए ही नियुक्त हैं | आप अधिक जानकारी के लिए हमसे या फिर अपने शरण स्थल के समाज सेवक से भी संपर्क कर सकते हैं |

हमसे संपर्क कैसे करें ?

आप हमसे इस टेलीफोन नंबर पर २४ घंटे और ७ दनि संपर्क कर सकते हैं :

078/15.43.24 - ०७८१५४३२४

आप हमें इस आई डी पर ईमेल भी भेज सकते हैं :

tutelles@just.fgov.be

अगर आपको मदद कज़िरुरत हो या फरि हमसे संपर्क करना हो, तो आप अपने शरण स्थल के समाज सेवक या फरि अपने वकील से ऐसा कह सकते हैं |

RESPONSIBLE EDITOR: JEAN - PAUL JANSSENS BD DE WATERLOO 115 -1000 BRUSSELS D/2021/7951/EN/1237